प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश में अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **आलेख्य प्रकाशन के दिनांक 16.12.2019 के स्थान पर दिनांक 23.12.2019** निर्धारित किया गया है।

2– इसी प्रकार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की **अवधि जो दिनांक 16.12.2019 से दिनांक 15.01.2020 तक थी, को संशोधित कार्यकमानुसार दिनांक 23.12.2019 से 22.01.2020 तक** कर दी गयी है।

3– भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक–01.01.2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम के **अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक–07.02.2020 के स्थान पर अब दिनांक 14.02.2020 को किया जाएगा।**

4– भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा–जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अपर जिलाधिकारी), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेविल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि दिनांक 23.12.2019 से 14.02.2020 तक के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी है।

अजय कुमार शुक्ला
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊ:
दिनांक: 13 दिसम्बर, 2019

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या–2366(1)/सी0ई0ओ0–4 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेस नोट की 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रेस नोट का विवरण सभी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को आकाशवाणी से प्रसारण कराने हेतु।

3– निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को दूरदर्शन से प्रसारित कराने हेतु।

4– समस्त मण्डलायुक्त/जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6– मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

(योगेश्वर राम मिश्र)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।